प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 00216/2023-2024

दिनांक 17/05/2023

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/MAH/01671 /2023-2024

पत्रावली संख्या:G-17092 दिनांक:1993-1994

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **उत्थान समिति, इन्दिरानगर वार्ड न० 7 कोतवाली के सामने महराजगंज, महाराज गंज, 273303** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 110/1993-1994 दिनांक-19/04/1993 को दिनांक-19/04/2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(NAGENDRA SINGH)
4CA7842A42A1CE3AFD772B454FF1A5610BCD35E1
Date: 17/05/2023 3:36:11 PM, Location: Gorakhpur.

जारी करने का दिनांक-17/05/2023

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AE 999877

जनरल स्टाम्प पेपर उत्थान समिति, महराजगंज

जिला महराजगंज फाइल नं० जी-17092

संशोधन स्मृति-पत्र के साथ संलग्न है।

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सत्यमेव जयते

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

गोरखपुर (उ० प्र०)

12-07-23

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AE 999878

जनरल स्टाम्प पेपर उद्यान समिति महराजगंज

जिला महराजगंज फाइल नं० [illegible]-17092

संशो० नियमावली के साथ संलग्न है।

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश गोरखपुर

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)
12-07-23

संशोधित स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : उत्थान समिति, महराजगंज
2. संस्था का पूरा पता : इन्दिरानगर, कोतवाली के सामने,महराजगंज
3. संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष
4. संस्था के उद्देश्य :

1. देश की एकता व अखण्डता की रक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयास करना।
2. देश में अशिक्षा को दूर करने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, शिक्षालयों की स्थापना करना तथा समाज के पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करना।
3. भारतीय संस्कृति तथा वैदिक गुणों को जीवन में उतार कर उनके, शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करना।
4. लोक संस्कृति का संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा रक्षा करते हुए प्रसार करना।
5. ग्रामीण तथा नगरीय महिलाओं में चेतना जागृत करना तथा समाज के पिछड़े वर्गों का सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक विकास करना।
6. संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य का प्रसार एवं साहित्यक चेतना का जागरण करना।
7. भारतीय समाज में महिलाओं तथा बच्चों को उचित स्थान दिलवाकर लिंग भेद को दूर करने हेतु प्रयास करना।
8. शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा कुटीर उद्योग, हरिजन कल्याण कृषि सुधार के लिए नियोजन करना और किसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करना तथा अनाथ आश्रमों की स्थापना एवं उन्हें संचालित करना।
9. महिलाओं के समग्र विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं को प्रारम्भ करना तथा उनके सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करना।
10. पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण कार्य करना, प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रयास करना, धुम रहित चूल्हा, फल संरक्षण, जीव जन्तु कल्याण कार्य, धूम्रपान निषेध, मद्यपान निषेध, विज्ञान तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों / परियोजनाओं का सफल संचालन व क्रियान्वहन करना तथा उसके लिए जनमानस को प्रेरित करना।
11. ग्रामीण एवं शहरी वातावरण को स्वच्छ बनाने हेतु जनमानस को प्रेरित व प्रशिक्षित करना, शौचालयों का निर्माण करवाना, घर का कूड़ा–कचरा यथाउचित स्थान पर रखना, पीने के पानी को किस प्रकार से स्वच्छ रखा जाए एवं गन्दे पानी का निकास किस प्रकार से किया जाए, घर को किस प्रकार से स्वच्छ रखा जाए अर्थात् समाज को सम्पूर्ण रुप से स्वच्छ बनाने हेतु प्रयास करना।
12. गाँवों में ग्रामीण एवं कुटीर शिल्प तथा दरताकरी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा प्रशिक्षणार्थियों विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी को बढ़ावा देने के लिए जागरुकता शोध विकास तथा कुरीतियों, अंधविश्वासों को समाप्त करने हेतु प्रयास करने को आत्मनिर्भर बनाने के लिए

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)
12-07-23

कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना और जन संख्या नियंत्रण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना और जन संख्या नियंत्रण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन करना।

13. अनु0 जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय, बहरे, गूँगे, बुजुर्गों एवं बच्चों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित करना।
14. बाल शिक्षा, महिला शिक्षा एवं प्रोढ़ शिक्षा से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों को संचालित करके देश व समाज को अशिक्षा से मुक्त कराने हेतु प्रयास करना।
15. बालक, बालिका एवं युवा मोर्चा वर्ग के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना, यथा स्पोर्ट कॉलेज, वाचनालय, पुस्तकालय, स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र एवं अनेक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करके उन्हें संचालित करना।
16. संस्था के लिए [illegible] प्राप्त करना, कूप, पोखरा, धर्मशाला, गौशालयों का निर्माण व अन्य आवश्यक कार्य जो नैतिक हों तथा समय पर आवश्यक हो करना।
17. महिलाओं एवं पुरुषों के स्वास्थ्य हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रमों को निःशुल्क संचालित करना, वृक्षारोपण निराश्रित बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावास, व्यायामशाला की स्थापना करना।
18. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की निराश्रित महिलाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु सुरक्षित भवन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई व पेन्टिंग प्रशिक्षण कराना, लघु उद्योगों/गृह उद्योगों जैसे–अगरबत्ती मोमबत्ती, मसाला, पत्तल, दोना पत्तल, लिफाफा, डेरी उद्योग, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि का प्रशिक्षण कराकर स्वरोजगार स्थापित करना।
19. देश में कुष्ट रोग, क्षय रोग, कैंसर, मलेरिया, एड्स आदि संक्रमक बिमारी के बारे में जानकारी एवं बचाव हेतु जनजागरुकता करना तथा पीड़ित लोगों के लिए चिकित्सालय स्थापित कर लोगों को स्वस्थ्य बनाना।
20. अनैतिक कुकर्मा के द्वारा भटकती युवा पीढ़ी को एड्स जैसी भयानक बिमारी से बचाव हेतु जागरुक करके उनको स्वस्थ्य बनाना, देश व समाज को एड्स मुक्त करना।
21. संस्था के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चन्दा, दान अचल सम्पत्ति, वित्तीय संस्थाओं, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से [illegible] सहायता प्राप्त करना। [illegible]
22. महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण, लघु उद्योग, की स्थापना करना एवं स्वयं सहायता समूह का गठन करना।
23. संस्था द्वारा गरीब अविवाहित युवतियों के विवाह सम्पन्न करने के लिए सहायता करना।
24. समय पर गरीब बच्चों और गरीबों को निःशुल्क भोजन करवाने व निःशुल्क वस्त्र वितरण का प्रयास करना तथा शिक्षा व चिकित्सा में उनकी सहायता हेतु हर सम्भव मदद करना।
25. दहेज, छूआछूत, मद्यपान, दहेज प्रथा, निरक्षरता, बाल, विवाह, बधुआ मजदूरी, वैश्यावृत्ति सामाजिक कुरीतियों को दुर करने का प्रचार प्रसार करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ0 प्र0)
12-07-23

26. बाल मजदूर को मजदूरी से छुटकारा दिलाने तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए शिक्षण की व्यवस्था कर एक समृद्ध समाज बनाने का प्रयास करना तथा बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ के प्रति लोगों में जागरुकता पैदा करना तथा उनकी हर सम्भव मदद करना।

27. समाजिक विकास हेतु वृत्तचित्र, नृत्यांकन सामाजिक स्तर का सांस्कृतिक कार्यक्रम का का प्रचार–प्रसार करना। ।

28. बालक/बालिकाओं के विकास एवं उत्थान हेतु गायन, नृत्य तथा अभिनय का निःशुल्क शिक्षण–प्रशिक्षण देना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

29. कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु जागरुक करने का प्रयास करना। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरुकता पैदा करना तथा स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्य करना तथा शुद्ध पेयजल पेयजल की निःशुल्क व्यवस्था करना।

30. समाज के विभिन्न वर्गों से निष्कासित तलाकशुदा, वृद्ध, विधवा निराश्रित महिलाओं, बालक/बालिकाओं के निःशुल्क शिक्षण प्रशिक्षण, पुनर्वास की व्यवस्था सम्बन्धित कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना। बाल सुधार गृह, महिला आश्रम, चाईल्ड केयर, वृद्धाश्रम का संचालन निःशुल्क करना, इससे जुड़े सेमिनार, जागरूकता कार्यक्रम आदि निःशुल्क करना।

31. राष्ट्रीय विकास एवं समाज सेवा कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग देना जैसे–परिवार कल्याण, महिला शिक्षा, वृक्षारोपण, साक्षरता मिशन, विकलांग कल्याण, पोलियों अभियान, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, प्रौढ़ शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।

32. भीख माँगना एक अभिषाप है। भीख मांगने में जुडे लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्यक्रम करना, बंधुआ मजदूरी, घरेलू हिंसा, बाल श्रम से निजात पाने हेतु जागरुकता कार्यक्रम करना।

33. अग्निशमन के लिए लोगों के जागरुकता कार्यक्रम निःशुल्क करना।

34. पशु क्रूरता पर समाज में जागरुकता कार्यक्रम/सेमीनार/गोष्ठी प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम निःशुल्क करना।

35. सरकार के सहकारिता आधिकारिता के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। इससे जुड़े कार्य करना संस्था का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। ए0डी0आर0, कानूनी सहायता से जुड़ी जानकारियाँ, प्रशिक्षण न्याय विभाग के सहयोग और निर्देश पर लोगों को निःशुल्क देना।

36. भ्रूण हत्या/भ्रूण लिंग परीक्षण को रोकने के लिए प्रचार प्रसार करनाा।

37. कचरा प्रबंधन पर निःशुल्क कार्यक्रम कर लोगों को जागरुक करना। दुग्ध एवं डेयरी उद्योग पर निःशुल्क का प्रचार प्रसार करना।

38. जैविक खेती को बढ़ावा देने और कार्यक्रमों को करना ताकि लोग विशुद्ध खेती की तरफ आकृष्ट हो। गन्ने, जूट, कपास, तिलहन, दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरुकता व प्रशिक्षण निःशुल्क देना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)
12.07.23

39. राष्ट्रीय / राज्य पेयजल कार्यक्रम जल जीवन मिशन, हर घर जल योजना में सहभागिता, स्वच्छ जल के प्रयोग रख–रखाव, वर्षा के जल का संचन, कूप नलकूप, ओवर हेड टैंक के निर्माण रख–रखाव योजना का प्रचार प्रसार करना। ।

40. जल निकास, अविरल जल, नमामि गंगे, जल शक्ति जैसी सरकारी, गैरसरकारी कार्यक्रमों का निःशुल्क प्रचार प्रसार करना।

41. पहाड़ों, पथरीली क्षेत्र रेगिस्तानों व दुरुह क्षेत्रों में जल जीवन मिशन पर काम करना, जल संचय, कृषि जल–वर्षा जल का संचय करना व इसके लिए प्रशिक्षण व जागरुकता कार्यक्रम के तहत लोगों को निःशुल्क रुप से जागरुक करना।

42. सरकारी, गैरसरकारी या स्वयं के संसाधन से टेराकोटा, हस्तशिल्प, बुनकर उद्योग, चमड़ा उद्योग सम्बन्धित शिक्षण, प्रशिक्षण देना। इससे सम्बन्धित जागरुकता कार्यक्रम करना।

43. विज्ञान, युवा विज्ञान, युवा वैज्ञानिक, शोध, सौर उर्जा, तथा विज्ञान सम्बन्धी निःशुल्क शिक्षण प्रशिक्षण आयोजित करना। कम्प्यूटर शिक्षा, प्रौद्यौगिकी से सम्बन्धित निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना।

44. मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा, स्वरोजगार एवं निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। अल्पसंख्यक कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं पर सरकार के सहयोग में निःशुल्क संस्था की भागीदारी सुनिश्चित करना। समाज कल्याण विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

45. भूमि परीक्षण, मृदा संरक्षण के प्रति लोगों को जागरुक करना व इससे सम्बन्धित कार्यक्रम व निःशुल्क प्रशिक्षण सरकारी / गैर सरकारी विभागों के निर्देशन में करना।

46. ऐतिहासिक धरोहरों, पर्यटकों स्थलों पर्यटन विभाग से जुड़े कार्यक्रमों के रख–रखाव, संचालन एवं सर्वे निःशुल्क करना।

47. मद्या निषेध, पशु क्रूरता, घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग, मानसिक रोगियों, दहेज हत्या जैसे कुरुतियों जैसे सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए जागरुकता कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

48. विभिन्न महामारियों जैसे प्लेग, इनसीफ्लैटिस, कोरोना डेंगू हैज्जा एच0आई0वी0 एड्स के प्रति लोगों को जागरुक करने हेतु प्रशिक्षण एवं इलाज के लिए निःशुल्क साधन मुहैया करवाना व जागरूकता कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यक्रमों, प्रशिक्षण, विभिन्न रोगों के रोकथाम पर निःशुल्क कार्य करना ।

49. यातायात नियमों, यातायात से जुड़ी जानकारियों, सड़क सुरक्षा, हवाई अड्डा, रेल सुरक्षा, शिपयार्ड, हाईवे, रोडवेज, एरोड्रम पर सुरक्षा नियमों व सुविधाओं के प्रति जागृत कार्यक्रम करना, शिक्षण–प्रशिक्षण निःशुल्क देना।

50. मुसहर, थारु या अन्य जनजातीय वर्ग के लोगों में खानपान, स्वच्छता, शिक्षा स्वरोजगार को बेहतर करने के लिए सरकारी / गैर सरकारी उपक्रमों के कार्यक्रमों का निःशुल्क संचलन करना।

51. चुनाव आयोग, राष्ट्रीय / राज्य महिला आयोग / आर0.टी0आई0 / पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग के कार्यक्रमों में निःशुल्क प्रचार प्रसार कर उनके जन जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण, सेमिनार आदि को सफल बनाना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)
12-07-23

52. राष्ट्रीय महिला आयोग / राज्यमहिला आयोग के सेमिनार / गोष्ठी / प्रशिक्षण व अन्य क्रायक्रमों में संस्था की निःशुल्क भागीदारी देना, महिलाओं में यौन उत्पीड़न के मामलो को रोकने हेतु प्रयास करना व इससे सम्बंधित सेमिनार / प्रशिक्षण व अन्य कार्यक्रमों का निःशुल्क आयोजन करना।

53. देश की महान विभूतियो, देश की सम्यता, संस्कृति पर गोष्ठी / सेमिनार व अन्य कार्यक्रमों के जरिए लोगो के भीतर देश प्रेम की भावना विकसित करना।

54. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।

55. राज्य / राष्ट्रीय पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सरकारी कार्यक्रमों में सहयोग करना। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आपरेटिव मंत्रालय के कार्यक्रमों में निःशुल्क प्रचार प्रसार करना।

56. संस्था के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल महाविद्यालय, आयुर्वेदिक, ऐलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी एक्यूपंचर इलेक्ट्रा पद्धति के महाविद्यालय की स्थापना एवं प्रशिक्षण अनुसंधान कार्य करना, उन्हें हर प्रकार की मदद देना। [illegible]

57. संस्था के माध्यम से सिलाई, कढ़ाई, बुनाई टंकण टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर शिक्षा, कला, क्राफ्ट, पेंटिंग, मॉडलिंग, संगीत, नृत्य शारीरिक शिक्षा, योगा, साक्षरता अभियान, अनौपचरिक शिक्षा आदि की शिक्षा देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना व इन प्रशिक्षण केन्द्रों को आर्थिक मदद करना व उनका सुचारू रूप से संचालन करना।

58. ऐसे स्व–प्रेरित तथा जागरूक कार्य [illegible] करना जो समाज में व्याप्त अशिक्षा, अन्याय, शोषण, उत्पीड़न एवं असमानता को दूर करने, गंदगी, बेरोजगारी, बीमारी एवं पिछड़ेपन को देश व समुदाय के सर्वागीण एवं संतुलित विकास में प्रभावकारी कदम निभा सकें।

59. समाज राष्ट्र एवं विश्व के बौद्धिक, भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान व विकास के लिए भौतिक व आध्यात्मिक विज्ञान शोध संस्थान, शोध प्रयोगशाला, संग्रहालय, विज्ञान व कला, सेमिनार, तकनीकी शिक्षा केन्द्रों का निर्माण, संचालन व सहायोग करना तथा प्रचार व प्रसार की आधुनिक विधाओंः तकनीकों के सहयोग से सर्व प्रकार का प्रचार– प्रसार और प्रकाशन करना व करवाना।

60. वरिष्ठ नागरिक, विधवा, अपंग, विकलांग, मंदबुद्धि व गरीब लोगों के कल्याण के लिए काम करना तथा उन्हें हर सहायता पहुचाना तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम जनता पहुचाना व उसके प्रति लोगों को जागरूक करना जैसे पेंशन, बेटियों की शादी के लिए [illegible] सहायता, विद्यार्थियों के लिए [illegible]। महिलाओं, दलितों, बूढ़ों–बुजुर्गों, गरीब व असहाय लोगों को बिना किसी जाति, धर्म भेदभाव के [illegible] सहायता करना [illegible] रहन–सहन, खाने–पीने का प्रबंध करना व उनके लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना। [illegible]

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

61.बेरोजगार युवाओं को रोजगार आदि की जानकारी देना, उन्हें रोजगार दिलाने में मदद करना तथा उनको सहयोग एवं मार्ग–दर्शन कर सहायता उपलब्ध कराना ।

62.सर्वधर्मार्थ शिक्षण संस्थाओं जिनके अंतर्गत विद्यालय, वैदिक गुरूकुल, मदरसों, आध्यात्मिक एवं योग विद्यालय, छात्रावास तथा व्यायामशाला आदि का निर्माण, संचालन एवं सहयोग करना। विश्व में नैतिक एवं मानव मूल्यों की स्थापना यथासंभव योगदान देना ।

63.धर्मार्थ आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं अन्य चिकित्सा– पद्धतियों, चिकित्सा – विद्यालयों, धर्मार्थ सैनिटोरियमों, नर्सिंग संस्थाओं, प्रसूति गृहों, शिशु कल्याण केन्द्रों औषिधि निर्माणशालाओं रसायन– शालाओं, चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रों का निर्माण संचालन एवं सहयोग करना समय–समय पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन करनाध करवाना तथा ऐसे कार्यों में सहयोग करना। स्वस्थ जीवन सर्व हेतु हो ऐसे प्रयासों में यथासंभव योगदान देना

64. नेत्रहीन, मूक बाधिर, विकलांगों आदि के लिए छोटे–मोटे उद्योग धंधे खोलकर प्रशिक्षित करना। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत संगीत, नाट्यकला आदि के लिए विकास कार्य करना । समाज में फैले छुआछूत, धर्म, साम्प्रदायिकता, नशाखोरी आदि को मिटाना तथा नैतिक उत्थान तथा राष्ट्रीयता की भावना के विकास का प्रयास करना।

65.लड़कियों–महिलाओं की गिरती जनसंख्या को रोकने के लिए कार्य करना व सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ– बेटी पढ़ाओ की योजना को समाज में लागू करवाने में मदद करना व उसका प्रचार–प्रसार करनामहिला एवं बाल विकास के उत्थान के लिए कार्य करना

66.किन्नरों के उत्थान के लिए कार्य करना ।

67.जोखिम भरे व स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने वाले उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों को मुक्त कराना व उनकी शिक्षा व रहन–सहन की व्यवस्था करना। हौजरी निर्माण से संबंधित कार्य रहे कारीगर एवं हेल्परों को अधिकार दिलाने का प्रयास करना। किसी भी प्रकार के कार्यों में लगे मजदूरों को उनका हक दिलवाने में मदद करना।

68.केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच जनता व समाज की समस्याओं से उन्हें अवगत कराना एवं निराकरण हेतु सदैव तत्पर रहना। आम लोगों व गरीब जरूरतमंदों की मदद करना।

69.नेत्रहीन, मूक बाधिर, विकलांगों आदि के लिए छोटे–मोटे उद्योग धंधे खोलकर प्रशिक्षित करना। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत संगीत, नाट्यकला आदि के लिए विकास कार्य करना। समाज में फैले छुआछूत, धर्म, साम्प्रदायिकता, नशाखोरी आदि को मिटाना तथा नैतिक उत्थान तथा राष्ट्रीयता की भावना के विकास का प्रयास करना।

70.मदरसों व मस्जिदों के इमाम, नायब इमाम, मुआजिम व मुदर्रिसीन शिक्षकों की उन्नति व विकास हेतु सरकारी अथवा गैर सरकारी मदद दिलाना तथा उनके समस्याओं के समाधान के लिए हर प्रकार के प्रयास करना व कार्यक्रमों का संचालन करना। सभी धर्मों के प्रचार–प्रसार हेतु भाईचारा के लिए संस्था कार्यरत रहेगी जैसे मदरसा, मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरूद्वारा, मठ का निर्माण करेगी। धर्मो के प्रचार हेतु किताबों व आई.ई.सी. मैटेरियल का प्रकाशन कर प्रचार करेगी

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

71.महिलाओं एवं बाल बालिकाओं के बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय/वाचनालय की स्थापना करना एवं बेरोजगार महिलाओं, युवक/युवतियों को हस्तकला, पशुपालन, वृक्षारोपण, टंकणकला आदि का सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करवाना, महिलाओं को उर्जा के संरक्षण हेतु उन्नत चूल्हा, बायोगैस, गोबर गैस आदि के बारे में जानकारी देना।

72.आदिवासी समाज के उत्थान के लिए उन्हें शिक्षा, भाषा, साफ सफाई, आधुनिकता, समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास, रोजगार के लिए प्रशिक्षण, सरकारी की नीतियों से अवगत कराना, खेल, ज्ञान विज्ञान से अवगत कराना, पोषण, आहार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना ।

73.जल ,जंगल ,जमीन के प्रति आदिवासी समाज को ~~सह-शिक्षा~~ जागरूकता देने मे प्रयास करना संस्था के उद्देश्यों मे शामिल है।

74.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रालय के निर्देश या सुझाव पर जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार प्रशिक्षण आदि के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना।

75.केंद्र या राज्य के विभिन्न मंत्रालयों के कार्यक्रमों का संचालन/क्रियान्यवन उनके निर्देश पर निःशुल्क करना।

76.पर्यावरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, जल शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सड़क, उड्डयन, वित्त, पर्यटन, संस्कृति, लघु उद्योग, श्रम, मत्स्य पालन, डेयरी, कृषि, किसान कल्याण, सहकारिता, संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास आदि के योजनाओ के प्रति लोगों को जागरूक करना, इन मंत्रालयों के निर्देश/सुझाव/सहमति से सेमिनार, प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम निःशुल्क करना ।

77.योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, होमियोपैथी चिकित्सा के प्रति लोगों को जागरूक करना, निःशुल्क सेमिनार व प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार के निर्देश या सहमति से करना।

78.संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय खोलकर शिक्षा का प्रबन्ध करना व उसका संचालन करनां।

79.समाज के पिछड़े एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के उत्थान हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे, कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्कीन प्रिंटिंग, टाइपिंग, संगीत, शिक्षा, फल, संरक्षण, रेक्सिन कला एवं महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, ब्यूटी पार्लर, वॉल पेंटिंग आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के योग्य बनाना।

80.शासन से पूर्व अनुमति लेकर नर्सिंग कोर्स एवं टीचर ट्रेनिंग, इंजि० कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पी.जी. कॉलेज, बी. एड. बी.टी.सी. कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना व संचालन करना ।

81.निःशुल्क टीकाकरण रक्तदान शिविर तथा नेत्र ज्योति शिविर का आयोजन करना और प्रदेश के विभिन्न चिकित्सकों की मदद से धर्मार्थ चिकित्सालयों/ धर्मार्थ अस्पतालों हेतु स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य निःशुल्क संचालित करना। मानव कल्याण हेतु हर प्रकार की चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार व रेडक्रास सोसाइटी की योजनाओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन साधारण को जानकारी मुहैया कराना व मोबाइल चिकित्सा का संचालन करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)
12-07-23

82.मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाये जाने वाले स्वास्थ्य एंव शिक्षा खेलकूद से सम्बन्धित समस्त योजनाओं का संचालन करना। कृषि मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय श्रम मंत्रालय तथा बाल विकास विभाग परिवार कल्याण निदेशालय मध्य निदेशालय कपार्ट, शिफ्सा, यूनिसेफ तथा डूडा व सूडा, यूनाडो, नाबार्ड, यूनीफेम, आई एल ओं, सिडबी व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों को सम्बन्धित विभाग के सहयोग से निःशुल्क संचालित करना।

83.दृष्टिहीनता की रोकथाम हेतु शुल्क नेत्रज्योति शिविर, नेत्र ऑपरेशन शिविर, सेमिनार, वर्कशॉप का आयोजन, टीकाकरण, दवा वितरण कार्यक्रम संचालित करना दृष्टिहीनों के सहयोग हेतु उपकरण वितरण शिक्षण/प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था व संचालन करना।

84.दैवीय/प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, शीतलहर, सूखा, गर्मी, लू से पीड़ितों को सरकारी व गैर सरकारी सहयोग से सहायता पहुंचाना।

85.कम्प्यूटर के क्षेत्र में लोगो को जागरूक करना एवं कम्प्यूटर से सम्बन्धित विषयों जैसे हार्डवेयर साफ्टवेयर टैली, एमएसवर्ड, एक्सेल, पेज मेकर, अकाउन्टिंग आदि का निः शुल्क प्रशिक्षण देना।

86.कृषि व आर्थिक विकास हेतु पशुधन/पशु पालन को बढ़ावा पशु व जीवन जंतु संरक्षण हेतु कार्यक्रम तथा पशु व जीव जंतु कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम संचालित करना, संस्था के माध्यम से भेड़, बकरी, गौ पालन, मुर्गी पालन को बढ़ावा देना व पशुओं के रहने के लिए गौशालाओं की स्थापना सरकार से अनुमति लेकर करना व दुग्ध डेयरी का संचालन व डेयरी फार्म व दुग्ध विकास के क्षेत्र में विस्तार करना। गोवंश की भरण पोषण इत्यादि की व्यवस्था करना ।

87.स्वास्थ्य रक्षा संबंधी कार्यक्रम संक्रामक व असाध्य रोगों एड्स, चेचक, हैजा, कालरा, हेपीटाइटिस, पोलियो ,डेंगू, टी०बी०, कैंसर, कुष्ठ रोग, मधुमेह रोगों के उन्मूलनार्थ तथा इनसे बचाव हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, जागरूकता, टीकाकरण, चिकित्सीय जानकारी एवं चिकित्सा हेतु निःशुल्क कार्यक्रम संचालित करना।

88.आई टी आई स्कूल खोलना, टर्नर फीटर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेन्टर, पेन्टर, क्रेन आपरेटर, डीजल मैकेनिक, ड्राइवर मेशन, प्लम्बर ,आर्क आर्गन, वेल्डर लोडर, रीगर, कम्प्यूटर आपरेटर, मोबाइल रिपेयरिंग, ए०सी० मैकेनिक, फ्रिज मैकेनिक, टेलर रोलिंग, मिल आपरेटर, रोलिंग मिल, फीटर, साफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्किंग, शेपर मैन, मिलींग मैन, रेडिएटर डील आपरेटर, सेटरिंग, आर०सी०सी० आपरेटर, डाई मेकर व अन्य ट्रेड का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार हेतु आत्मनिर्भर बनाना।

89.समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश केंद्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नारी कल्याण द्वारा संचालित महिला एवं विकास योजनाओं को संचालित करना व खादी ग्राम उद्योग कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम संचालित करना।

90.खेलो को बढावा, खेलो के प्रति गांवो एवं शहरो में अभिरूचि पैदा करने के लिए खिलाडियों को जिम, व्यायाम शाला, क्रिकेट, फुटबाल, बालीबाल, टेनिस, कबडडी, बैडमिटन प्रशिक्षित

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
मुरादाबाद (उ० प्र०)
12/07/23

विभाग की
करना संस्था के माध्यम से मैदान, स्टेडियम आदि का निर्माण अनुमति लेकर करना एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना तथा खिलाडियों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करना। खेलो इंडिया मिशन के तहत खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों से जोड़ते हुए प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं का अनुमति लेकर आयोजन करना।

91.शासन की अनुमति से विकलांग व्यक्तियों का दवा, तिपहिया साईकिल इत्यादि की व्यवस्था करनाद्य विकलांगों के पुनर्वास के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करनाद्य विकलांग व्यक्तियों के लिए फिजियोथेरेपी सेंटर की निः शुल्क स्थापना करना।

92.ब्लड बैक की स्थापना शासन की अनुमति से करना तथा रक्त संग्रह कर उसे जनहित में उपलब्ध कराना।

प्रबन्धरकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम , पता, पद एवम व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया है

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी	पुत्र श्री कैलाश नाथ	फरेन्दा रोड जनपद महराजगंज	अध्यक्ष	चिकितसक
2.	श्री राधवेश पति त्रिपाठी	पुत्र श्री नर्वदेश्वर पति त्रिपाठी	मुण्डेरा खुर्द लक्ष्मीपुर एकडंगा जनपद महराजगंज	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	श्री अमित कुमार तिवारी	पुत्र श्री महाशय प्रसाद तिवारी	ग्राम व पो०-रामपुर बाल्डीहा घुघली जनपद महराजगंज	सचिव	समाजसेवा
4.	श्री संजय लाल श्रीवास्तव	पुत्र श्री इन्द्रासन लाल श्रीवास्तव	बेलवाबोजी जनपद महराजगंज	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5.	श्री राजू कुमार	पुत्र श्री मल्लू प्रसाद	इन्दिरा नगर वार्ड नं० 10 नगर पालिका परिषद जनपद महराजगंज	सदस्य	समाजसेवा
6.	श्री नागेन्द्र पाण्डेय	पुत्र श्री जगदीश उपाध्याय	इन्दिरा नगर जनपद महराजगंज	सदस्य	समाजसेवा
7.	श्रीमती विनीता शुक्ला	पुत्री श्री अरविन्द शुक्ला	ग्राम व पो० पवनी मझवारा मऊ	सदस्य	समाजसेवा

हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है ।

दिनाँक / Date :

हस्ताक्षर / Signature :

राजू कुमार नागेन्द्र Vinita Shukla

सत्य - प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता........
मिलान कर्ता..12.08.2023

संशोधित स्मृति-पत्र नियमावली

1— संस्था का नाम : उत्थान समिति, महराजगंज
2— संस्था का पूरा पता : इन्दरानगर, कोतवाली के सामने, महराजगंज।
3— संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष
4— संस्था के उद्देश्य : संस्था के स्मृति–पत्र में अंकितानुसार होगा।
5— **संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :**

कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष की हो दिवालिया अथवा पागल न हो वह संस्था का सदस्य बन सकेगा।

5.1— **आजीवन सदस्य–**

जो व्यक्ति उपरोक्त शर्तों को पूरा करे तथा संस्था को एक बार एक मुश्त 5001/– रू0 (पाँच हजार एक रूपये) निः स्वार्थ भाव से देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य माना जायेगा।

5.2— **साधारण सदस्य–**

जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से प्रतिवर्ष 101/– रू0 या उससे अधिक की धनराशि वार्षिक देंगे संस्था के सामान्य सदस्य कहलायेंगे।

5.3— **विशिष्ठ सदस्य–**

संस्था के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाला प्रतिष्ठित, समाज सेवी व्यक्ति जो संस्था की उन्नति में सहयोग देगा और प्रयत्न करेगा वह विशिष्ठ सदस्य होगा। विशिष्ठ सदस्य को कोई चन्दा या शुल्क देना अनिवार्य नहीं होगा यदि वह अपनी स्वेच्छा से संस्था के हित मे कुछ सहायता या दान प्रदान करना चाहे तो कर सकते हैं।

5.3— **संरक्षक सदस्य–**

जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से रू0 10001/– रू0 एक मुश्त प्रदान करेगा, संस्था का संरक्षक सदस्य कहलायेंगे।

6— **सदस्यता की समाप्ति–**

1) मृत्यु होने पर या त्याग–पत्र स्वीकृत हो जाने पर।
2) पागल हो जाने पर।
3) किसी न्यायाल द्वारा दंड़ित होन पर।
4) दिवालिया हो जाने पर।
5) समय से चन्दा न जमा करने पर।
6) संस्था के विरूद्ध आचरण करने पर।
7) लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर।

7— **संस्था के अंग–**

(अ) साधारण सभा
(ब) प्रबन्धकारिणी समिति

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ0 प्र0)

8— साधारण सभा—

अ— गठन—साधारण सदस्य, आजीवन सदस्य, विशिष्ट सदस्य मानोनित आपस में मिलकर साधारण सभा का गठन करेंगे।

ब— बैठक—साधारण सभा की सामान्य बैठक कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य होगी विशेष बैठक किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है।

स— सूचना अवधि— साधारण सभा की बैठक 15 दिन पूर्व सूचना देकर बुलाई जा सकती है। विशेष आवश्यक बैठक 3 दिन पूर्व सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

द— गणपूर्ति— साधारण सभा की बैठक के लिए 1/3 गणपूर्ति आवश्यक होगा, परन्तु पूर्व विषयों पर पुनः बुलाई बैठक के लिए गणपूर्ति का ध्यान नहीं रखा जायेगा।

य— वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

साल में एक बार सचिव द्वारा स्थान एवं तिथि निश्चित करके विशेष/वार्षिक अधिवेशन आहूत किया जायेगा।

र— साधारण सभा का कर्तव्य /अधिकार :

1— प्रबन्धकारिणी समिति का गठन चुनाव पद्धति द्वारा करना।

2— प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत आय व्यय विवरण, बजट, एजेन्डा तथा प्रस्ताव आदि स्वीकृत कराना।

3— प्रबन्धकारिणी समिति के कार्यों में सलाह एवं सहयोग देना।

9— प्रबन्धकारिणी समिति:

(अ) गठन—

(1) प्रत्येक पाँच वर्षों बाद आम सभा अपने सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति का चुनाव करेगी। जिसकी सदस्य संख्या कम से कम 7 और अधिक से अधिक 11 होगी। इसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

(ब) बैठकें—

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्यतः दो षटमासिक बैठकें होंगी। परन्तु विशेष बैठकें कभी भी बुलायी जा सकती हैं।

(स) सूचना अवधि—

प्रबन्धकारिणी समिति की सामन्य बैठक हेतु दस दिन पूर्व सूचना होनी चाहिये। परन्तु विशेष बैठकों के लिए 24 घंटे पूर्व सूचना मान्य होगी।

(द) गणपूर्ति—

प्रबन्धकारिणी समिति के बैठकों के लिए 2/3 गणपूर्ति होना आवश्यक होगा। पूर्व प्रस्तावों पर स्थागित बैठक के लिये गणपूर्ति का ध्यान रखा जायेगा।

य— रिक्त स्थानों की पूर्ति —

प्रबन्धकारिणी सदस्य के रिक्त स्थान की पूर्ति शेष अवधि के लिये कार्यकारिणी समिति आम सभा के सदस्यों में से कर सकेगी।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार/कर्तव्य—

(क)— सरकारी, गैरसरकारी, एवं अर्द्धसरकारी पत्र व्यवहार करना।

सत्यमेव जयते
सहायक निबन्धक ... उत्तर प्रदेश गोरखपुर

1. 2. SG Dixit 3. ... 4. ... 5. Ashok 6. ... 7. ...

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाईटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)
12.07.23

(ख)– दान, अनुदान तथा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना।

(ग)– संस्था कि उन्नति के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना, खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजन करना तथा कार्यक्षेत्र की उन्नति के लिये हर प्रकार का प्रयत्न करना।

(घ)– बजट, आय–व्यय विवरण, एजेन्डा एवं प्रस्ताव आदि साधारण सभा स्वीकृत कराना।

(ल) प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल–

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

10– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

(अ) प्रबन्धकारिणी समिति में निम्नानुसार पदाधिकारी व सदस्य होंगे–

1– अध्यक्ष– एक 2– उपाध्यक्ष– एक 3– सचिव– एक

4– सदस्य– चार

(ब) पदाधिकारियों के कर्तव्य–

1– अध्यक्ष–

क– संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति व आम सभा के बैठकों की अध्यक्षता करना।

ख– किसी प्रस्ताव का बराबर मत आने पर अपना एक निर्णयक मद देकर निर्णय करना।

ग– प्रबन्धकारिणी समिति के समस्त पदाधिकारियों के कार्यों में उचित सलाह देना।

2– उपाध्यक्ष–

क– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके अधिकारों / दायित्वों का प्रयोग करना।

ख– संस्था के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की परियोजना तैयार करना उसे क्रियान्वित करना तथा परियोजनाओं की भौतिक, वित्तीय रिपोर्ट दाता संस्थाओं को उपलब्ध कराना।

ग– संस्था की ओर से बैठकों, मीटिंगो, गोष्ठियों, कार्यशालाओं में भाग लेना।

ड.– अध्यक्ष / प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा सौंपे गये सभी कार्य करना।

3– सचिव–

3.1– संस्था के कार्यों को कराने हेतु प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना तथा उनकी सेवा के नियम बनाना, उनके कार्यों की देख–भाल करना। सेवा मुक्ति एवं वेतन / मानदेय वृद्धि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

आदि करना।

3.2– संस्था की पूँजी की प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन किसी राष्ट्रीय कृत बैंकों में रखना / निकालना, संस्था के समस्त बाउचरों को स्वीकार करना।

3.3– संस्था के हितार्थ सरकारी / अर्ध सरकारी कार्यालयों, बैंकों, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड व आयोग व दातव्य संस्थाओं तथा किसी व्यक्ति से ऋण चन्दा अनुदान / दान प्राप्ति व वापसी करना। अन्य समस्त ऐसे कार्य जो संस्था के हितार्थ हों और संस्था के उद्देश्यों तथा आम सभा प्रबन्धकारिणि समिति के निर्णयों के विरूद्ध न हो करना।

3.4– कानूनी मामलों में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

3.5– संस्था के कार्मिकों की स्थायी तथा अस्थायी नियुक्तियां, पदोन्नति,बोनस, ग्रेजुयटी का भुगतान करना व भ्रष्ट कार्मिकों की सेवा मुक्ति करना।

3.6– शिक्षण व ग्रामोद्योग संघिता में प्रदत्त सारे अधिकार जो उस समय नियमों में नहीं दिये गये हैं, उपयोग करेगा।

3.7– सब तरह के पत्र–व्यवहार चाहे वो अर्धसरकारी विभाग चाहे सरकारी विभाग या व्यक्तिगत हों।

3.8– 1860 के निबंधन एक्ट 21 के अनुसार संस्था के मुख्य कार्यकारी के विधान का उपयोग सचिव करेगा।

3.9– कोषाध्यक्ष के साथ बैंक खातों का संचालन करना।

4– कोषाध्यक्ष–

सचिव के कार्यों में सहायता / सहयोग करना एवं उनके द्वारा सौंपे गये कार्यों को करना। तथा सचिव के साथ बैंक खातों का संचालन करना।

11– संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया–

संस्था के नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन हेतु संस्था की प्रबन्धकारिणि समिति की बैठकों में पास होने के दस दिन बाद साधारण सभा की बैठक से पुष्टि करायी जानी चाहिये। तथा इसके एक माह बाद विशेष साधारण सभी की बैठक से भी पुष्टि होना अनिवार्य है। संशोधन प्रस्ताव निबन्धक सोसायटीज को अध्यक्ष के साथ तीन अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर एवं भूतपूर्व सदस्यों के हस्ताक्षर करवाकर एक माह के अन्दर आवेदन किया जाना चाहिए।

12– संस्था का कोष या बैंक खातों का संचालन–

(क) संस्था के समस्त धन राष्ट्रीय कृत बैंक / मान्यता प्राप्त बैंक में संस्था के नाम से जमा

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)
12-01-23

होगा। सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से निकाला जायेगा।

(ख) संस्था द्वारा अन्य जिलों में/प्रदेशों में गठित शाखाओं को प्राप्त धन राष्ट्रीयकृत बैंक /मान्यता प्राप्त बैंक में संस्था के नाम से जमा किया जायेगा। और उन खातों का संचालन सचिव के साथ नियुक्त जिलासमन्वयकों/राज्य समान्वयकों के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

(ग) संस्था द्वारा कैश बुक, लेजर बुक इत्यादि बनाया जायेगा एवं सुरक्षित रखा जायेगा।

13— संस्था के आय—व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट)—

संस्था के वार्षिक आय—व्यय की जांच कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा करायी जायेगी।

14— संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व—

संस्था के विरूद्ध समस्त कानूनी कार्यवाही संस्था के अध्यक्ष के नाम जनपद—महराजगंज होगी।

15— संस्था अभिलेख—

सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक, लेजर बुक, रसीद बुक, डाक पंजिका आदि जो आवश्यक हों रखें जायेंगे।

16— संस्था के विघटन और विघटित सम्पति के निस्तारण की कार्यवाही—

संस्था के समापन की स्थिति में ऋण आदि के निपटाने के पश्चात् इसकी जो भी सम्पति शेष होगी। समान उद्देश्य रखने वाले दूसरी संस्था को स्थानान्तरित की जायेगी। संस्था का समापन, पंजीकरण अधिनियम की धारा 13 व 14 के अनुसार होगा।

सत्य प्रतिलिपी

दिनांक .... हस्ताक्षर

सत्य - प्रतिलिपि
डिप्टी सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता......
मिलान कर्ता...12-07-23

उत्थान समिति इन्दिरा नगर वार्ड नं0 07 कोतवाली के सामने महराजगंज उ0प्र0 की साधारण सभा की सूची वर्ष........2022–2023

क.सं.	नाम/पिता का नाम	पता
1	श्री ओमप्रकाश चतुर्वेद्वी पुत्र श्री कैलाश नाथ	फरेन्दा रोड जनपद महराजगंज
2.	श्री राघवेश पति त्रिपाठी पुत्र श्री नर्वदेश्वर पति त्रिपाठी	मुण्डेरा खुर्द लक्ष्मीपुर एकडंगा जिला महराजगंज
3.	श्री अमित कुमार तिवारी पुत्र श्री महाशय प्रसाद तिवारी	ग्राम व पो0 रामपुर बल्डीहा वाया घुघली जिला महराजगंज
4.	श्री संजय लाल श्रीवास्तव पुत्र श्री इन्द्रासन लाल श्रीवास्तव	बेलवाकाजी जनपद महराजगंज
5.	श्री राजू कुमार पुत्र श्री मल्लू प्रसाद	इन्दिरानगर वार्ड नं0–10 नगर पालिका परिषद महराजगंज
6.	श्री नागेन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री जगदीश उपाध्याय	उपरोक्त
7.	श्रीमती विनीता शुक्ला पुत्री श्री अरविन्द शुक्ला	ग्राम व पो0 पवनी मझवारा मऊ
8	श्रीमती सुनीता पाण्डेय पत्नी श्री अशोक कुमार	ग्राम पुरैना (पाण्डेय टोला) श्यामदेउरवा महराजगंज
9	श्री जाहंगीर खान पुत्र अकबर अली	नगर पंचायत घुघली महराजगंज
10	संजय यादव पुत्र श्री स्वामी नाथ यादव	रामपुर बल्डीहा टोला बेलवा घुघली महराजगंज
11.	मैक्सवेल इलीयट पुत्र डब्लयू एच इलीयट	वार्ड नं0–4 चांदनी चौक खुशीनगर बसहिया उर्फ कप्तानगंज जिला कुशीनगर
12.	श्री सुनील मिश्रा पुत्र तनेश्वर मिश्रा	रामपुरवा उर्फ रामपुर महाराजगंज
13.	अवधेश मिश्रा पुत्र शारदा मिश्रा	ग्राम व पो0 परसागिरही महराजगंज महराजगंज
14	श्री रणदीप सिंह सेठी पुत्र श्री अवरात सिंह	वार्ड नं0 –7 स्टेशन रोड शिवाजी नगर नगर पंचायत घुघली जिला महराजगंज
15.	विजय कुमार उपाध्याय पुत्र श्री प्रदुम्न उपाध्याय	ग्राम व पो0 कमहरियां ब्लाक सिसवा जिला महराजगंज
16.	पियूष गर्ग पुत्र श्री चतुर्भुज गर्ग	भोपाल मध्य प्रदेश
17.	दीपक कुमार पुत्र श्री शिवपूजन प्रसाद	गौनरिया बाबू जिला महराजगंज
18	श्री उज्वल पाण्डेय पुत्र श्री अशोक कुमार पाण्डेय	ग्राम व पो0 पुरैना पाण्डेय टोला श्यामदेउवा जिला महराजगंज
19	उपेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री	ग्राम व पो0 गोपाला थाना घुघली जिला महराजगंज
20.	श्री त्रिलोकी चौहान पुत्र श्री रमाशंकर चौहान	ग्राम व पो0 रामपुर बल्डीहा घुघली जिला महराजगंज
21.	श्री राजेश जोशी पुत्र श्री	विस्थापित कॉलोनी ऋिषिकेश उत्तराखण्ड
22.	श्री दिनेश शर्मा पुत्र श्री	कैथल हरियाणा

Tripathi Tripathi Vinita Shukla Vinita Shukla

Secretary
Utthan Samiti Maharajganj
U.P.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AE 898159

जनरल स्टाम्प पेपर उत्थान समिति

जिला महराजगंज फाइल नं० एम-17092 के साथ संलग्न है।

प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष - 2022-23

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सत्यमेव जयते

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)
16-03-23

उत्थान समिति इन्दिरा नगर वार्ड नं0 07 कोतवाली के सामने महराजगंज की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष........2022—2023

क.सं.	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री ओमप्रकाश चतुर्वेद्वी पुत्र श्री कैलाश नाथ	फरेन्दा रोड जनपद महराजगंज	अध्यक्ष	चिकित्सक
2.	श्री राधवेश पति त्रिपाठी पुत्र श्री नर्वदेश्वर पति त्रिपाठी	मुण्डेरा खुर्द लक्ष्मीपुर एकडंगा जिला महराजगंज	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	श्री अमित कुमार तिवारी पुत्र श्री महाशय प्रसाद तिवारी	ग्राम व पो0 रामपुर बल्डीहा वाया घुघली जिला महराजगंज	सचिव	समाजसेवा
4.	श्री संजय लाल श्रीवास्तव पुत्र श्री इन्द्रासन लाल श्रीवास्तव	बेलवाकाजी जनपद महराजगंज	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5.	श्री राजू कुमार पुत्र श्री मल्लू प्रसाद	इन्दिरानगर वार्ड नं0—10 नगर पालिका परिषद महराजगंज	सदस्य	व्यवसाय
6.	श्री नागेन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री जगदीश उपाध्याय	इन्दिरानगर जनपद महराजगंज	सदस्य	समाजसेवा
7.	श्रीमती विनीता शुक्ला पुत्री श्री अरविन्द शुक्ला	ग्राम व पो0 पवनी मझवारा मऊ	सदस्य	समाजसेवा

Vinita Shukla

सत्य - प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ0प्र0 गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता ...
मिलान कर्ता ...16-03-23

उत्थान समिति इन्दिरानगर वार्ड नं0 07 कोतवाली के सामने महराजगंज उ0प्र0 की ~~साधारण सभा~~ प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2024–2025

क्र.सं. नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1. श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी पुत्र श्री कैलाश नाथ	फरेन्दा रोड जनपद महराजगंज	अध्यक्ष	चिकित्सक
2. श्री राधवेश पति त्रिपाठी पुत्र श्री नर्वदेश्वर पति त्रिपाठी	मुण्डेरा खुर्द लक्ष्मीपुर एकडंगा जिला महराजगंज	उपाध्यक्ष	समाजसेवी
3. श्री अमित कुमार तिवारी पुत्र श्री महाशय प्रसाद तिवारी	ग्राम व पो0 रामपुर बल्डीहा वाया घुघली जिला महराजगंज	सचिव	समाजसेवी
4. श्री संजय लाल श्रीवास्तव पुत्र श्री इन्द्रासन लाल श्रीवास्तव	बेलवाकाजी जनपद महराजगंज	कोषाध्यक्ष	समाजसेवी
5. श्री राजू कुमार पुत्र श्री मल्लू प्रसाद	इन्दिरानगर वार्ड नं0 10 नगर पालिका परिषद महराजगंज	सदस्य	व्यवसाय
6. श्री नागेन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री जगदीश	इन्दिरा नगर जनपद महराजगंज	सदस्य	समाजसेवी
7. श्रीमती विनीता शुक्ला पत्नी श्री अमित कुमार तिवारी	ग्राम व पो0 रामपुर बल्डीहा वाया घुघली जिला महराजगंज	सदस्य	समाजसेवी
8. श्री रणदीप सिंह सेठी पुत्र स्व श्री अवतार सिंह सेठी	वार्ड नं0 7 स्टेशन रोड शिवाजी नगर नगर पंचायत घुघली जिला महराजगंज	सदस्य	समाजसेवी
9. श्री अरविन्द शुक्ला पुत्र स्व0 श्री रामगणेश शुक्ला	ग्राम पचनी पो0 [illegible] जिला महराजगंज	सदस्य	समाजसेवी
10. श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री धीरज कुमार त्रिपाठी	वार्ड नं0 2 शिव नगर नगर पालिका परिषद जिला महराजगंज	सदस्य	समाजसेवी
11. श्री मनीष कुमार तिवारी पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र तिवारी	ग्राम हरखोंड़ा पो0 मिठौरा बाजार जिला महराजगंज	सदस्य	समाजसेवी

Tripathi
राजू कुमार
Vinita Shukla
Manish
नागेन्द्र
सुमन
Randeep Sethi
अरविन्द शुक्ला

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

कृते सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ0 प्र0 गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता.............
मिलान कर्ता...14-08-24

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश गोरखपुर

पत्रावली संख्या G-17092
अभिलेख का नाम उत्थान समिति
प्रबंध समिति की सूची 2024-25
आज दिनांक 12/8/2024
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21, सन् 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण की गयी।

सहायक निबंधक
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

12/8/24

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88AE 968542

जनरल स्टाम्प पेपर उद्यान समिति

जिला महराजगंज नं०... जी-7092

प्रबन्ध समिति के साथ संलग्न है।

की सूची वर्ष- 2024-25

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सत्यमेव जयते

कृते सहायक रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

उ० प्र० गोरखपुर

14-08-24

97
5/8/2024 इन्द्राज कालौनी 07 इन्द्राज महानगर